इलस्ट्रेशन: जॉन हेंड्रिक्स

# चांद पर किसका हक?

क्या चंद्रमा पर संपत्ति का मालिकाना हक देने से वहां स्वामित्व के लिए भागदौड़ शुरू हो जाएगी? ज़रूर, लेकिन ऐसा होना एक अच्छी बात है।



**ग्लेन हार्लन रेनॉल्ड्स**

पूरे मानव इतिहास में चांद को दूर से ही देखा जाता रहा, लेकिन केवल कुछ दशक पहले वहां तक की यात्रा करना संभव हो गया। चूंकि, चांद हमारी पहुंच के भीतर है इसलिए लोग उसकी संपत्ति के अधिकारों पर बहस करने लगे हैं: 'एज ऑफ डिस्कवरी' की तरह क्या अंतरिक्ष यात्री चांद पर अपने राजा और अपने देश का हक जता सकते हैं? क्या कार्पोरेशनों को इसके प्राकृतिक संसाधनों पर स्वामित्व जताने का हक है या निजी स्तर पर क्या लोग वहां की भू-संपत्ति के मालिक बन सकते हैं?

इस विषय पर प्रिंस्टन यूनिवर्सिटी के कानूनी अध्येता जॉन कॉब कूपर ने वर्ष 1951 में सबसे पहले "हाइ एल्टिट्यूड फ्लाइट एंड नेशनल सोवेरिन्टी" नामक लेख लिखा। इस पर तमाम सैद्धांतिक चर्चाएं हुईं। कई अध्येताओं ने इस बात पर बहस की कि पृथ्वी की भूसंपत्तियों के विपरीत चंद्रमा पर अलग ढंग से विचार करना होगा, तो दूसरों ने कहा कि अंतरिक्ष और पृथ्वी के भूसंपत्ति नियमों में अंतर नहीं होना चाहिए।

अंतरिक्ष की तेज़ दौड़ में असली चिंता राष्ट्रीय संप्रभुता की है। अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ दोनों ही चंद्रमा पर पहले पहुंचना चाहते थे। उनकी असली चिंता यह थी कि अगर वे दूसरे नंबर पर वहां पहुंचे तो क्या होगा? इस प्रतिस्पर्द्धा से कहीं तृतीय विश्व युद्ध न छिड़ जाए, इसलिए वर्ष 1967 में 'बाह्य अंतरिक्ष संधि' की गई जिसका समर्थन अंततः 62 देशों ने किया। संधि के अनुच्छेद-2 के अनुसार, "चंद्रमा तथा अन्य खगोलीय पिंडों सहित बाह्य अंतरिक्ष पर संप्रभुता, उपयोग अथवा व्यवसाय, या अन्य किसी उपाय से दावा करके राष्ट्रीय विनियोजन नहीं किया जा सकता।"

इस तरह, किलेबंदी, हथियारों और सैनिक ठिकानों के साथ ही राष्ट्रीय नियोजन की बात खत्म हो गई। लेकिन, निजी संपत्ति अधिकार यानी व्यक्तिगत तथा कार्पोरेट अधिकार का क्या होगा? कुछ लोगों का कहना है कि संपत्ति अधिकार केवल किसी राष्ट्र की संप्रभुता के बाद ही लागू हो सकता है जबकि अधिकांश लोगों को विश्वास है कि संपत्ति अधिकार और

*कॉपीराइट © 2008, हर्स्ट कम्युनिकेशन्स इंका, सर्वाधिकार सुरक्षित। मूलतः आलेख पॉपुलर मेकेनिक्स के जून 2008 के अंक में प्रकाशित।*

*ऊपर : बारस्टो, कैलिफ़ोर्निया में एक समारोह में नासा और इसकी 50वीं वर्षगांठ के लोगो के साथ किंडरगार्टन में पढ़ने वाले बच्चे।*

*दाएं: शिक्षाविद एलिज़ी बेल और हैदर बर्जेस दूसरे ग्रह के प्राणी की फुलाई जा सकने वाली आकृति कोस्मो के साथ। ये नासा की 50वीं वर्षगांठ के लोगो का चाकलेट पोर्ट्रेट प्रदर्शित कर रही हैं। ह्यूस्टन, टेक्सस में रॉबर्ट एम. बेरेन एकेडेमी में अंतरिक्ष सप्ताह के मौके पर यह खाया जा सकने वाला पोर्ट्रेट तैयार किया गया।*

## नासा के 50 साल

एक अक्टूबर को नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा विश्वभर में मानवीय उपलब्धि के प्रतीक चिह्नों के रूप में देखे जाने वाले वैज्ञानिक नवाचारों और खाजों के 50 साल का सफर पूरा कर लेगा। अंतरिक्ष के शोध और भविष्य की चुनौतियों के पांच दशकों का समारोह मनाने के लिए नासा ने एयर शो, कला प्रदर्शनियों, फील्ड सेंटरों में ओपन हाउसों, फिल्म समारोहों और अंतरिक्ष शोध पर चर्चाओं का आयोजन किया है जिनमें अंतरिक्ष सम्बन्धी विषयों में रुचि रखने वाले, छात्र, वैज्ञानिक, अध्यापक और कलाप्रेमी भाग ले रहे हैं।

नासा की स्थापना 1958 में अमेरिकी कांग्रेस ने ''पृथ्वी के वातावरण के अंदर और बाहर उड़ान की समस्याओं में शोध सम्भव बनाने और अन्य उद्देश्यों के लिए'' की थी। वाशिंगटन, डी.सी. स्थित मुख्यालय के अलावा इसके अमेरिका में 10 फील्ड सेंटर और अन्य कार्यालय हैं।

**ज़्यादा जानकारी के लिए:**

नासा के 50 साल

http://www.nasa.gov

संप्रभुता दो अलग-अलग चीजें हैं।

इस मामले को ध्यान में रखते हुए जिन राष्ट्रों को लगा कि बाह्य अंतरिक्ष संधि दूरगामी सिद्ध नहीं होगी, उन्होंने वर्ष 1979 में एक नए समझौते के तहत चंद्र संधि यानी 'मून ट्रीटी' की। इसके अंतर्गत चंद्रमा पर निजी संपत्ति अधिकार पर स्पष्ट रूप से पाबंदी लगा दी गई। उसमें यह व्यवस्था भी की गई कि वहां के संसाधनों का किसी भी प्रकार का विकास, दोहन तथा प्रबंध एक अंतरराष्ट्रीय प्राधिकरण के निरीक्षण में ही किया जा सकेगा और यदि मुनाफा हुआ तो उसका एक हिस्सा विकासशील देशों को प्रदान करेगा।

राष्ट्रपति जिमी कार्टर के प्रशासन को चंद्र संधि पसंद आई लेकिन अंतरिक्ष सक्रियतावादियों को डर लगा कि इससे हिस्सेदारी की आवश्यकता के कारण अमेरिका के खनिज संबंधी दावे अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के अधीन हो जाएंगे। उन्होंने अमेरिकी सेनेट पर इसका समर्थन न करने के लिए दबाव बनाया। यद्यपि चंद्र संधि इस पर हस्ताक्षर करने वाले 13 राष्ट्रों में लागू हो चुकी है लेकिन इनमें से एक भी राष्ट्र अंतरिक्ष शक्ति की श्रेणी में नहीं आता।

इसलिए चंद्रमा पर संपत्ति के अधिकार पर अभी भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा जारी है। लेकिन, क्या चंद्रमा पर कोई जमीन खरीदेगा? और, उस पर स्वामित्व के लिए क्या करना पड़ेगा?

इनमें से पहले सवाल का उत्तर है 'हां'। चंद्रमा में काफी लोग जमीन खरीदेंगे और सच्चाई तो यह है कि बहुत लोग खरीद भी चुके हैं। डेनिस होप चंद्र दूतावास के मालिक हैं जो खगोलीय पिंडों पर संपत्ति 'बेचता' है। उनका कहना है कि वे 'अनूठी चीज' के रूप में चंद्रमा पर 20 करोड़ हैक्टेयर जमीन बेच भी चुके हैं। इनमें से प्रत्येक चंद्र भूखंड लगभग फुटबाल के मैदान के बराबर है और उसकी कीमत 16 डॉलर से 20 डॉलर तक है। खरीददार 'सी ऑफ ट्रंक्वेलिटी' तथा अपोलो यानों के उतरने के स्थानों को छोड़ कहीं भी जमीन खरीद सकते हैं। होप ने इन स्थानों को खरीददारी से अलग रखा है।

चंद्र-भूखंडों के स्वामित्व के लिए होप ने संयुक्त राष्ट्र को लिखा कि वह चंद्रमा पर संपत्ति की बिक्री शुरू कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने जब इसके लिए मना करने वाला कोई जवाब नहीं दिया तो होप ने दावा किया कि वह यह काम कर सकता है। हालांकि मैं उसके स्वामित्व के दावे को संदिग्ध मानता हूं लेकिन उसके ग्राहकों ने साथ देकर उसकी स्थिति को एक तरह मान्यता दे दी है। अगर वह चंद्रमा पर पर्याप्त जमीन बेच लेता है तो यह उसकी अपनी भविष्यवाणी के साकार होने जैसी बात हो जाएगी।

इसलिए संदिग्ध मालिकाना हक की भी मांग बनी हुई है। लेकिन, होप के अनुमान के बजाय भूमि पर हक जताने के लिए क्या करना होगा? यह अभी स्पष्ट नहीं है। समुद्री सेल्विज कानून राष्ट्रीय सीमा के पार भी लागू होता है। उसमें इसका उत्तर मिल सकता है: जो लोग मलबे के पास पहुंचते हैं और उस संपत्ति पर कब्जा कर लेते हैं, वे सामान्यत: कब्जे में ली गई संपत्ति के एक खास प्रतिशत के हकदार हैं। यहां तक कि कोई ऐसा मामला भी है जिसमें यह हक किसी मानव के बजाय रोबोट को दिया गया है।

परंपरागत रूप से बिना दावेदारी की संपत्ति पर दावा जताने के लिए लंबी उपस्थिति, प्रभावी नियंत्रण और किसी हद तक सुधार ज़रूरी माना जाता है। चंद्रमा पर संपत्ति के लिए भी ये नियम बुरे नहीं है। लेकिन, ऐसी संपत्ति की पहचान आखिर कौन करेगा?

यह काम शायद अलग-अलग राष्ट्र कर सकते हैं। अमेरिका ने 1980 के 'डीप सी बेड हार्ड मिनरल रिसोर्सेज एक्ट' में समुद्र तल पर दावा करने के बजाय अपनी सीमा से बाहर समुद्र की गहराई में खनन के अधिकारों को मान्यता दी। अमेरिकी कांग्रेस को चंद्रमा के लिए भी ऐसा कानून पास करने से कोई नहीं रोक सकता। और, अन्य राष्ट्रों को भी ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता।

अच्छा तो यह होगा कि ऐसे मालिकाना हक को अंतरराष्ट्रीय समझौते के तहत मान्यता दी जाए जिसका सभी राष्ट्र समर्थन करें। वर्ष 1979 में चंद्र-संधि असफल रही, लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं है कि अंतरिक्ष शक्तियां ऐसी संधि पर सहमत न हों जो संपत्ति अधिकार को मान्यता और निवेश को बढ़ावा दे। आखिर विगत 30 वर्षों के दौरान संपत्ति अधिकार और पूंजीवाद पर अंतरराष्ट्रीय माहौल गरमाया ही है।

मैं चाहूंगा कि इस दिशा में कुछ हो। संपत्ति अधिकारों से निजी क्षेत्र की पूंजी बढ़ती है। सरकारी अंतरिक्ष कार्यक्रम ठहरे हुए हैं। चंद्रमा पर जमीन की मांग बढ़ने से ये फिर से चल पढ़ेंगे। और, कृपया, मैं चंद्रमा के किसी एक ध्रुव के निकट जमीन का एक बढ़िया-सा टुकड़ा लेना चाहूंगा जिसकी ऊंची चोटी पर मुझे साल भर धूप मिलती रहे और जिसके किसी गर्त की पेंदी में काफी बर्फ जमी रहे। आइए न कभी मुझसे मिलने!

***ग्लेन हार्लन रेनॉल्ड्स** यूनिवर्सिटी ऑफ टेनेसी में कानून के प्रोफ़ेसर हैं। इन्होंने रॉबर्ट पी. मर्जेज के साथ* आउटर स्पेस:प्रॉब्लम्स ऑफ़ लॉ एंड पॉलिसी *पुस्तक लिखी है।*